कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह मई, 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ डॉ० लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह मई, 2024 में निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर-1 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्र के वे मुख्यालय जिनका नाम सूचियों के ऊपर अंकित किया हुआ है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

जैसलमेर मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम	लिंक न्यायालय का नाम
05.05.2024 11.05.2024 12.05.2024	श्री गजेंद्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	श्री सौभाग्यसिंह चारण, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
19.05.2024 25.05.2024 26.05.2024	श्री सौभाग्यसिंह चारण, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	श्री गजेंद्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

पोकरण मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम	लिंक न्यायालय का नाम
05.05.2024 11.05.2024 12.05.2024	श्री विजय कुमार, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण	श्री नवीन रतनू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण
19.05.2024 25.05.2024 26.05.2024	श्री नवीन रतनू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण	श्री विजय कुमार, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण

श्री नवीन रतनू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण द्वारा वर्तमान में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उनकी रिमाण्ड ड्यूटी दिवसों से पूर्व कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की सूरत में उनके नाम के आगे वर्णित रिमाण्ड ड्यूटी दिवसों पर रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन श्री विजय कुमार,न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकडा, पोकरण द्वारा ही किया जायेगा।

नोट :-

1. माह मई, 2024 के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।

2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय / माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।

3. मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 09.00 एएम से 1.00 पीएम बजे तक रहेगा।

Conti:-

Lekh
02/5/24

4. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई अवकाश घोषित हो जाने पर **जैसलमेर** जिला मुख्यालय के लिये घोषित अवकाश के दिन **अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर** उक्त कार्य देखेंगे। इसी प्रकार **पोकरण** मुख्यालय के लिये घोषित अवकाश के दिन **न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा** उक्त कार्य देखेंगे। इसके लिये कोई पृथक आदेश नहीं पारित किया जावेगा, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। जिस अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की गई है, वह जिस मुख्यालय पर पदस्थापित है, वहीं रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

5. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाएंगे, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर के आदेश के अध्यधीन रहेगा।

6. विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

7. तारांकित (*) अवकाश यदि कोई हो, तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर
02/05/24

क्रमांकः 191-103 (mail) **दिनांकः** 02/05/24

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।

2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।

3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।

4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।

6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।

7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।

8. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।

9. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।

10. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।

11. उपकारागृह, जैसलमेर।

12. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

13. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।

14. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
02 जैसलमेर